

संचिका सं.-9 / विविध-07-01/2018:-
झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

E-Mail

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभिः)।

सेवा में

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग।
सभी अधीक्षण अभियंता, (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग।
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग।

राँची, दिनांक:-

विषय:- CRITERIA FOR ISSUANCE OF CHEQUE DRAWAL AUTHORITY FOR FINANCIAL YEAR 2019-20.

प्रसंग:- प्रधान महालेखाकार (ले.एवं ह०), झारखण्ड, राँची का पत्रांक-139 दिनांक-16.01.2019।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में प्रधान महालेखाकार (ले.एवं ह०) झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विषयांकित मामले में महालेखाकार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनु.-यथोक्त।

ज्ञापांक 1280

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया विभागीय वेबसाइट पर प्रासंगिक पत्र के साथ अपलोड किया जाय।

अनु.-यथोक्त।

राँची, दिनांक 28/02/19

विश्वासभाजन
ह०/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिः)।

28/02/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिः)।

22/02/19

मुख्य अभियंता का कार्यालय
योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग
जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांक – 2/पी० एम० सी०/विविध/697/2019-.....

राँची/दिनांक.....

प्रेषक,

ई० नागेश मिश्र
मुख्य अभियंता (मो०)

सेवा में,

E-mail
अतिआवश्यक

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

विषय:-

Criteria for issuance of Cheque Drawal Authority for Financial Year 2019-20

प्रसंग:-

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय का
पत्रांक—WMII-CDA-139, Dated-16.01.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में प्रासंगिक पत्र (छाया प्रति संलग्न) से महालेखाकार, झारखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कार्य प्रमण्डलों हेतु चेक प्राधिकार (Cheque Drawal Authority) निर्गत किये जाने के लिए प्रासंगिक पत्र में वर्णित कंडिका 1 से 5 तक का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। वर्णित कंडिका-1 से 5 तक का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही Cheque Drawal Authority निर्गत किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रासंगिक पत्र में वर्णित निदेशों का ससमय अनुपालन कराये जाने का निदेश दिया गया है।

EE-1/2/3
अनुरोध है कि अपने परिक्षेत्राधीन सभी प्रमण्डलों के लिए पत्र में वर्णित कंडिका
अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय एवं अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(नागेश मिश्र)

मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक – 2/पी० एम० सी०/विविध/697/2019-12-7
प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2 एवं योजना मोनिटरिंग एवं
आयोजन अंचल-3, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं अनुवर्ती प्रबोधन हेतु प्रेषित।
अनु०—यथोक्त।

22/02/2019
(नागेश मिश्र)
मुख्य अभियंता (मो०)



प्रधान महालेखाकार (लेखा ए) (9), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

मत्यमेव जयते

विंशठ
अ०प्र०-२



Sri Arun Kumar Singh, IAS
Additional Chief Secretary,
Water Resource Department,
Govt. of Jharkhand,
Nepal House, Doranda
Ranchi 834002.

No. WM II - CDA - 139

Date: 16.1.19

Deputy Secretary (Engineering)

2023
18/02/19

Subject: - Criteria for issuance of Cheque Drawal Authority for Financial year 2019-20.

Sir,

On the above mentioned subject I am directed to intimate that criteria for issuance of Cheque Drawal Authority (C.D.A.) up to 31st March, 2020 to Works Divisions of Jharkhand including River Valley Project Divisions for the Financial year 2019-2020 has been fixed as follows :-

1. In case of permanent Divisions

- (a) Monthly Accounts received upto March, 2019 and accepted without objection by this office.
- (b) Revised Form-51 received for the month prior to the month for which Treasury Account has been received in this office.

2. In Case of temporary Divisions

- (a) Proper Sanction for extension of life of Temporary Division has been received in this office.
- (b) Conditions as prescribed in 1(a) and (b) above.
- (c) When the sanction for extension of life of temporary division is received after April 2019, the Monthly Account and Revised Form-51 due at that time must have been received in this office.

3. A certificate must be attached with March 2019 Monthly Accounts that **no bank accounts are being operated in personal or any other capacity by any of the officials except as required by specific Centrally Sponsored Scheme CSS duly permitted by the Planning and Finance Dept., Govt. of Jharkhand**, in which case the relevant particulars and permission of the Planning and Finance Dept., Govt. of Jharkhand to be provided.

4. **Statement of commitments on incomplete public works contracts as on 31st March 2019 in prescribed format both in English & Hindi separately duly downloaded from WAMIS and corrected to the extent must be submitted in hard as well as soft copies.(In Excel Sheet)**

5. It was intimated to all Departments of P.W.D. that monthly accounts are to be submitted by 10th of the following month. If the monthly accounts are not received within the prescribed period, complete in all respect, the C.D.A. will be cancelled. C.D.A. will also be cancelled for delay in submission of R.F.-51.

It is, therefore, requested that necessary instruction may be issued to all concerned officers so that Cheque Drawal Authority may be issued in **minimum possible time**.

Yours faithfully,

P.S. Sekhri

Dy. Accountant General (W&F)